FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0160 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 21/06/2025 11:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 07/05/2025 Date To (दिनांक तक): 17/06/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:30 बजे Time To (समय तक): 13:59 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 21/06/2025 Time (समय): 10:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 21/06/2025 11:53:20 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 80 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): KARALYA PARISAR, NAGAR PALIKA CHHABRA, JILA BARAN

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DEEPAK DUDANEE

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMSWROOP DUDANEE

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1983 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	STATION ROAD, CHHABRA, CHHABRA , BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	STATION ROAD, CHHABRA, CHHABRA , BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	YUSUF KHAN		पिता:MEHBULLA KHAN	1. SARKARI AAWAS,,PURANI NAGAR PALIKA,CHHABARA,BARAN,RA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,400.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 6,400.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2025 को ब्यूरो मुख्यालय के हैल्पलाईन नम्बर 1064 से परिवादी श्री दीपक दुदानी के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाने पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री दीपक दुदानी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर बात की तो परिवादी ने जर्ये मोबाईल बताया कि "मैं दीपक दुदानी पुत्र श्री स्व0 श्री रामस्वरूप दुदानी जाति महाजन उम्र 43 साल निवासी छबडा से बोल रहा हुं। मेरे नगर पालिका छबडा में केम्पर सप्लाई का टेण्डर था जिसके बिल नगर पालिका छबडा में पैण्डिग चल रहे है। मैं बिल पास करवाने के लिए नगर पालिका छबडा के बाबू श्री युसुफ खान से मिला तो उसने मेरे बिल पास करने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि की मांग कर रहा है"। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को एसीबी कार्यालय आने को कहा तो परिवादी दीपक दुदानी ने एसीबी कार्यालय बारां पर आने में असमर्थता जताई। इस पर परिवादी को कस्बा छबडा में मिलने की हिदायत देकर मालखाने से डीवीआर एवं नया मैमोरी कार्ड निकलवाया जाकर मेमोरी कार्ड को डीवीआर में लगाकर चैक कर स्वयं के पास रखा। समय 10.30 एएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय श्री दिनेश कानि0 360 के मय सरकारी वाहन चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 के मय डीवीआर परिवादी श्री दीपक दुदानी के पास कस्बा छबडा रवाना होकर समय करीब समय 11.30 एएम पर कस्बा छबडा में गोपनीय स्थान पर पहुंचा जहां परिवादी श्री दीपक दुदानी उपस्थित मिला। परिवादी श्री दीपक दुदानी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं प्रार्थी दीपक दुदानी पुत्र श्री रामस्वरूप दुदानी स्टेशन रोड छबडा का निवासी हुं। मेरा छबडा नगर पालिका में पिछले आठ-दस वर्ष से पानी के केम्पर सप्लाई का टेण्डर चल रहा था। इस वर्ष का केम्पर सप्लाई का टेंडर किसी और व्यक्ति को दे दिया था। मेरे लगभग छः महिने के 7200 केम्परो का बिल पास करने व पांच हजार रूपये की धरोहर राशि लौटाने की एवज में युसुफ खान बाबू प्रति केम्पर 2 रूपये के हिसाब से 14400 रूपये की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। मैंने युसुफ खान को पांच हजार रूपये 04.05.2025 को दे दिये तथा बाकी रिश्वत राशि 2-4 दिन में देने के लिए कहा है। मैं युसुफ खान बाबू को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी उक्त बाबू से कोई पुरानी रंजिश व उधार लेन देन बाकी नही है। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। " मजमून प्रार्थना एवं परिवादी के मौखिक दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी श्री दीपक दुदानी को डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू बन्द करने तथा रिकॉर्डिंग करने की विधी समझाई गई। परिवादी का परिचय श्री दिनेश कानि0 360 से करवाया गया। समय 11.59 एएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री [redacted] के मोबाईल पर जर्ये कॉल कर बात करवाई तो आरोपी ने ऑफिस में आने से मना किया तथा परिवादी को उसके घर पर मिलने के लिए कहा। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया गया। समय 12.03 पीएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी को डीवीआर चालू करवाकर आरोपी श्री युसुफ खान के पास नगर पालिका छबडा में पैण्डिग कार्य के सम्बन्ध में बातचीत करने हेतु रवाना किया गया। श्री दिनेश कानि0 360 को निगरानी हेतु परिवादी के साथ रवाना किया गया। समय 12.25 पीएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी मय श्री दिनेश कानि0 360 के हमराह उपस्थित आये। श्री दिनेश कानि0 360 ने डीवीआर सुपुर्द कर बताया कि "आपके निर्देशानुसार मैं परिवादी श्री दीपक दुदानी के साथ निगरानी हेतु रवाना हुआ। नगर पालिका छबडा से कुछ दूरी पहले रूका परिवादी को आरोपी श्री युसुफ खान के पास नगर पालिका छबडा में रवाना कर मैं वहीं परिवादी का इंतजार करने लगा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री दीपक दुदानी मेरे पास आये जिनसे मैंने डीवीआर लेकर बन्द किया व अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि " मैं युसुफ खान से मिलने नगर पालिका छबडा में गया जहां युसुफ खान मुझे ऑफिस में बैठा मिला। मैंने उनसे मेरे पैण्डिग बिल के सम्बन्ध में बातचीत की तो युसुफ खान ने ऑफिस में मुझसे रिश्वत की बात नही की। वह मेरे घर पर आकर रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत करेगा। इसलिए मुझसे युसुफ खान ने मेरे घर पर आने की कहा है"। मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को चालू कर सुना तो श्री दिनेश कानि0 व परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई। आरोपी ने परिवादी के घर पर आने पर रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत करने हेतु डीवीआर मय मैमोरी कार्ड श्री दिनेश कानि0 360 को सुपुर्द कर श्री दिनेश कानि0 360 को परिवादी श्री दीपक दुदानी के साथ परिवादी के घर पर जाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देश दिये गये तथा बाद सत्यापन डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को लाकर पेश करने बाबत निर्देशित किया गया।

फर्द सुपुर्दगी डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्रथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 1.00 पीएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री दीपक दुदानी व श्री दिनेश कानि0 360 को परिवादी के घर के लिए रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय सरकारी वाहन चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 के एसीबी कार्यालय बारां के लिए रवाना होकर समय 2.00 पीएम एसीबी कार्यालय बारां पहुंचा। तत्पश्चात समय 4.52 पीएम पर श्री दिनेश कानि0 360 ने जर्ये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि परिवादी श्री दीपक दुदानी की आरोपी से जर्ये मोबाईल पर बात हुई थी तो आरोपी ने परिवादी के घर पर आने की कहा परन्तु आरोपी के नही आने पर परिवादी ने आरोपी ने मालूमात की तो आरोपी आज अतिक्रमण में व्यस्त होने से परिवादी के घर पर नही आयेगा। परिवादी की आरोपी से हुई मोबाईल वार्ता को डीवीआर में रिकॉर्ड किया है। आरोपी ने दिनांक 08.05.2025 को आने की कहा है। इस पर श्री दिनेश कानि0 360 के मोबाईल से परिवादी श्री दीपक दुदानी से वार्ता की तो परिवादी ने श्री दिनेश कानि0 के कथनो की ताईद की। श्री दिनेश कानि0 को परिवादी को रूखसत कर मय डीवीआर एसीबी कार्यालय बारां पर आने की हिदायत की गई। इसके बाद समय 7.30 पीएम पर श्री दिनेश कानि0 360 एसीबी कार्यालय बारां पर उपस्थित आया डीवीआर मन उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं परिवादी श्री दीपक दुदानी के साथ उसके निवास पर गया था जहां पर परिवादी ने आरोपी श्री युसुफ खान को कॉल कर बात की तो परिवादी के घर पर आने की कहा परन्तु शाम तक आरोपी के नही आने पर परिवादी ने आरोपी की मालूमात की तो आरोपी ने अतिक्रमण में व्यस्त होने से दिनांक 08.05.2025 को परिवादी से मिलने की कहा है। मैंने जर्ये मोबाईल हालात आपको अवगत कराये थे। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को चालू कर सुना तो रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता नहीं होना पाया गया। दिनांक 08.05.25 को पुनः रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। फर्द प्राप्ति डीवीआर मय मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। श्री दिनेश कानि0 360 को दिनांक 08.05.2025 को परिवादी श्री दीपक दुदानी के पास जाकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश दिये गये। डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 08.05.2025 को समय 10.30 एएम पर मालखाने से डीवीआर मय मैमोरी कार्ड निकलवाकर श्री दिनेश कानि0 360 को सुपुर्द कर परिवादी श्री दीपक दुदानी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कस्बा छबडा रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डीवीआर मय मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 3.46 पीएम पर श्री दिनेश कानि0 360 ने जर्ये मोबाईल कॉल कर बताया कि आपके निर्देशानुसार में परिवादी श्री दीपक दुदानी के निवास पर कस्बा छबडा पहुंचा। परिवादी ने समय 10.40 एएम पर आरोपी को कॉल किया तो आरोपी ने परिवादी के घर पर आने की कहा। काफी देर तक आरोपी के नही आने पर परिवादी ने समय 12.25 पीएम पर आरोपी को कॉल किया तो आरोपी ने मिटींग में होना बताया। मिंटीग के बाद आरोपी ने परिवादी के घर पर आने की कहा। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ताओ को डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। तदुपरान्त समय 03.14 पीएम पर आरोपी श्री युसुफ खान परिवादी के घर पर आया। परिवादी डीवीआर चालू कर परिवादी ने आरोपी को घर में बगल में लगे पानी के प्लांट के ऑफिस में बिठाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में बात करने लगा। मैं परिवादी के घर पर कमरे के अन्दर से निगरानी करने लगा। लगभग 15 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया। मैंने डीवीआर लेकर बन्द कर मेरे पास रखा। परिवादी ने बताया कि मेरी बाबू युसुफ भाई से रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत हो गई है। बाबू युसुफ भाई मुझसे तीन हजार रूपये लेकर गया है तथा शेष राशि बाबू युसुफ भाई ने बिल पास करने पर लेने की कहा है। इस पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से जर्ये मोबाईल वार्ता की तो श्री दिनेश कानि0 के कथनो की ताईद की। परिवादी से ट्रेप कार्यवाही करवाने बाबत रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो परिवादी ने चार-पांच दिन में रिश्वत राशि की व्यवस्था कर जर्ये मोबाईल सुचित करने को कहा। इस पर श्री दिनेश कानि0 को परिवादी को रूखसत कर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड एसीबी कार्यालय बारां आने की हिदायत की गई। समय 6.00 पीएम पर इस समय श्री दिनेश कानि0 360 उपस्थित कार्यालय आया। श्री दिनेश कानि0 360 ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैंने हालात आपको जर्ये मोबाईल अवगत करवा दिये थे। मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने डीवीआर को चालू कर सुना तो रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द प्राप्ति डीवीआर मय मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री दीपक दुदानी द्वारा रिश्वत राशि की व्यवस्था कर सुचित करने पर ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 11.05.2025 को समय 4.00 पीएम पर श्री दीपक दुदानी ने जर्ये मोबाईल कॉल कर बताया कि रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है। इस पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी दीपक दुदानी को आरोपी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु दिनांक 12.05.2025 को समय 09.30 एएम पर एसीबी कार्यालय बारां आने की हिदायत की गई। दिनांक 12.05.2025 समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी उपस्थित कार्यालय आया। समय 1.15 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से कार्यालय पत्रांक 398 दिनांक 12.05.2025 जारी कर श्री विक्रम सिंह कानि0 23 को दो स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां रवाना किया जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्रांक 797 दिनांक 12.05.2025 के साथ दो स्वतन्त्र गवाहान साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। स्वतन्त्र गवाहान से परिचय किया तो एक गवाह ने अपना नाम श्री कालूलाल आर्य सीनियर टेक्नीकी सहायक व दूसरे ने

अपना नाम श्री प्रवीण चार्ल्स कनिष्ठ सहायक खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बारां होना बताया। स्वतन्त्र गवाहान का परिचय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री दीपक दुदानी से करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 07.05.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतन्त्र गवाहान को पढवाया तथा ट्रेप कार्यपाही में सहयोग हेतु सहमति चाही गई। दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने मौखिक सहमति देकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 3.00 पीएम पर इस समय स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दीपक दुदानी ने अपने पास से निकालकर आरोपी श्री युसुफ खान सहायक कर्मचारी नगर पालिका छबडा को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच पांच सौ के 12 नोट एवं दौ-दौ सौ रूपये के 02 नोट कुल 6400 मन् प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी चौकी बारां को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है - क्र.स नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6KU 384036 2 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4AG 555720 3 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8MS 331397 4 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7NE 622250 5 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 AK 472862 6 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0 FW 338753 7 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 DS 200426 8 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5 TS 992521 9 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1EF 684880 10 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5PC 707301 11 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8TR275950 12 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8PT 642989 13 एक नोट दौ सौ रूपये का नम्बर 2NB929034 14 एक नोट दौ सौ रूपये का नम्बर 5SA765526 उपरोक्त नोटों के नम्बरो का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाकर उनकी उपस्थिति में श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री दीपक दुदानी की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण चार्ल्स से लिवाई जाकर परिवादी श्री दीपक दुदानी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 6400 रूपयों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को दोनों स्वतंत्र गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध व्यक्ति ने रिश्वत राशि प्राप्त की है। समझाईश प्रक्रिया के बाद डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिकवाया तथा जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को एवं डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई। श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा मैने भी अपने हाथ साबुन व साफ पानी से धोये। परिवादी श्री दीपक दुदानी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री दीपक दुदानी को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या अपने मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल करें। डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गई। तत्पश्चात समय 3.30 पीएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता श्री ज्ञानचन्द स0उ0नि0, श्री दिनेश कानि0 360, श्री बबलेश कानि0 261, श्री विक्रम सिंह कानि0 23, श्री जावेद कानि0 25, श्री दुर्गेश कानि0 34 मय स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रवीण चार्ल्स, श्री कालूलाल आर्य व परिवादी श्री दीपक दुदानी के प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन चालक श्री नरेन्द्र सिंह 530 के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के कस्बा छबडा ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 4.50 पीएम कस्बा छबडा पहुचां। समय 5.08 पीएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जर्ये मोबाईल स्पीकर खोलकर वार्ता करवाई तथा वार्ता को डीवीआर में रिकार्ड किया गया। आरोपी ने वार्ता में परिवादी के निवास पर आने की कहा। इस पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने वाहनो को सुरक्षित स्थान पर खडा करवाया व परिवादी के निवास पर पहुंच कर मुकीम हुये। समय 6.43 पीएम पर परिवादी को डीवीआर चालू कर सुपुर्द किया तथा मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस व जाप्ता अपना अपना छुपाव हासिल करवाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में परिवादी के निवास के आसपास मुकीम हुये। तत्पश्चात समय 7.15 पीएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस के पास वापस आया तथा परिवादी से डीवीआर लेकर वन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि युसुफ खान सहायक कर्मचारी को मुझ पर शक हो गया है। उसने मुझसे रिश्वत राशि डर की वजह से आज नही ली। युसुफ खान ने मेरे बिल पास होने पर फोन पे से रिश्वत राशि लेने को कहा है। इस पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने डीवीआर को चालू कर सुना तो परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई।

आरोपी ने परिवादी के बिल पास कर फोन पे पर रिश्वत राशि लेने की कहा। परिवादी के बताये अनुसार उसके बिल पास होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित हुआ। परिवादी की जेब में रखी रिश्वत राशि स्वतन्त्र गवाह श्री कालूलाल आर्य से निकलवाकर एक खाली लिफाफे में रखवाकर स्वतन्त्र गवाह श्री कालूलाल आर्य के पास रखवाई गई। परिवादी को उसके पैण्डिग बिल पास होने पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करने व गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 8.00 पीएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता श्री ज्ञानचन्द स0उ0नि0, श्री बबलेश कानि0, श्री दिनेश कानि0 0, श्री विक्रम सिंह कानि0, श्री जावेद अख्तर कानि0, श्री दुर्गेश कानि0 मय स्वतन्त्र गवाहान श्री कालूलाल आर्य, श्री प्रवीण चार्ल्स के प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन चालक श्री नरेन्द्र सिंह 530 के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के कस्बा छबडा से एसीबी कार्यालय बारां रवाना होकर समय 10.00 पीएम पर एसीबी कार्यालय बारां पहुंचा। रिश्वत राशि का लिफाफा स्वतन्त्र गवाह श्री कालूलाल आर्य से लेकर मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड भी मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 17.06.2025 को समय 8.56 एएम पर मन उप अधीक्षक को परिवादी श्री दीपक दुदानी के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल कर बताया कि मेरे कैम्पर सप्लाई के पैण्डिग बिल के रूपये मेरे खाते में आ गये है। आज श्री युसुफ खान सहायक कर्मचारी मुझसे फोन-पे पर रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। आप ट्रेप कार्यवाही हेतु छबडा आ जाओ। मैं कस्बा छबडा में आपको मिल जाउंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता एवं कस्बा छबडा में गोपनीय स्थान पर मिलने की हिदायत की गई। समय 10.00 एएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री कालू लाल आर्य सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट व श्री प्रवीण चार्ल्स कनिष्ठ सहायक को जर्ये मोबाईल तलब कर समय 10.30 एएम पर एसीबी कार्यालय पर आने की हिदायत की गई। समय 10.30 एएम पर पाबन्दशुदा गवाह श्री प्रवीण चार्ल्स कनिष्ठ सहायक एवं श्री कालू लाल आर्य सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट उपस्थित आये। जिनको की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। तत्पश्चात समय 11.20 एएम पर मन उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री ज्ञानचन्द एएसआई, श्री बबलेश कानि0 261, श्री दिनेश कानि0 360, श्री विक्रम सिंह कानि0 23 व स्वतन्त्र गवाहान श्री कालूलाल आर्य, श्री प्रवीण चार्ल्स मय सरकारी व प्राईवेट वाहन के मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 12.40 पीएम पर कस्बा छबडा पहुंचा। परिवादी श्री दीपक दुदानी उपस्थित आया परिवादी ने बताया कि मेरे केम्पर सप्लाई के बिल युसुफ खान सहायक कर्मचारी नगर पालिका छबडा ने पास कर दिये जो मेरे खाते में प्राप्त हो चुके है। आज श्री युसुफ खान मुझसे फोन पे पर रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। परिवादी को आरोपी श्री युसुफ खान के पास जाकर उसके पैण्डिग कार्य धरोहर राशि एवं बिल पास होने के सम्बन्ध में बातचीत करने की हिदायत दी गई तथा परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी के कहने पर उसको रिश्वत राशि फोन पे पर करने के बाद मन उप अधीक्षक पुलिस को बाहर आकर रिश्वत लेन देन के ईशारा सिर पर हाथ फेरकर करे या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल करें। समय 12.50 पीएम पर इस समय परिवादी श्री दीपक दुदानी को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द किया तथा रिश्वत लेन देने हेतु आरोपी श्री युसुफ खान सहायक कर्मचारी के पास नगर पालिका छबडा रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता वाहनो को गोपनीय स्थान पर खडा करवाकर आरोपी के पीछे पीछे रवाना होकर नगर पालिका छबडा के आसपास छुपांव हासिल करते हुए परिवादी के ईशारे का इन्तजार में मुकीम हुआ। समय 01.13 पीएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी बिना ईशारा किये मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के उपस्थित आया। मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने डीवीआर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मैं डीवीआर चालू कर श्री युसुफ खान के पास नगर पालिका छबडा पहुंचा। श्री युसुफ खान सहायक कर्मचारी मुझे नगर पालिका के गेट के पास मिला जिसमे मैंने रिश्वत लेन देन के सम्बन्ध में बातचीत की तो श्री युसुफ खान ने बिल पास करने एवं धरोहर राशि लौटाने की एवज में 6400 रूपये उसके बेटे जुबेर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन पे पर डालने की कहकर मोटर साईकिल से रवाना होकर सर्वे करने की कहकर नगर पालिका से चले गये। इस दौरान हमारे बीच जो भी वार्ता हुई जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। मन उप अधीक्षक पुलिस ने डीवीआर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो परिवादी के कहे हुए कथनों की पुष्टि होना पाया गया। इसके बाद परिवादी ने बताया कि मैंने मेरे फोन पे नंबर [redacted] से श्री युसुफ खान के पुत्र श्री जुबेर के फोन पे नंबर [redacted] पर रिश्वत राशि 6400 रूपये डालने लगा तो सर्वर की समस्या होने से फोन पे पर ट्रांसफर नहीं हुये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक के निर्देशानुसार पुनः प्रयास कराने पर समय करीब 1.59 पीएम पर परिवादी के फोन पे से श्री युसुफ खान के पुत्र जुबेर खान के फोन पे नंबर [redacted] पर रिश्वत राशि 6400 रूपये ट्रांसफर हुये। इसके बाद रिश्वत राशि प्राप्ति की पुष्टि हेतु परिवादी श्री दीपक दुदानी को आरोपी श्री युसुफ खान के कार्यालय में भिजवाया गया। कुछ समय बाद परिवादी वापस आया तथा बताया कि श्री युसुफ खान अपने कार्यालय में नहीं है, इस दौरान मैंने उनसे जरिये मोबाईल वार्ता की तो उन्होंने बताया कि मैं सर्वे करके करीब 5.30 पीएम तक वापस कार्यालय में आउंगा। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के मय वाहनों के नगर पालिका के आस पास गोपनीय स्थान पर आरोपी के आने की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ। तत्पश्चात समय 05.57 पीएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी ने मन उप अधीक्षक को बताया कि मैंने मेरे परिचित से नगर पालिका छबडा में श्री युसुफ खान की तलाश करवाई तो युसुफ

खान अपने कार्यालय में आ गये है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह मय परिवादी मय हमराहियान जाप्ता के गोपनीय स्थान से रवाना होकर नगर पालिका छबडा परिसर पहुंचे जहां पर मोटर साईकिल पर बैठे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही युसुफ खान बाबू जी है। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा अपने पद का परिचय देते हुए आरोपी से उसका नाम पता एवं पद के संबंध में पूछा तो उसने अपना नाम युसुफ खान पुत्र श्री मेहबुल्ला खान जाति मुसलमान उम्र 59 साल सहायक कर्मचारी हाल सफाई निरीक्षक कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां निवासी पुराने अस्पताल के पीछे, गुर्जर मोहल्ला, मनोहरथाना जिला झालावाड़ वर्तमान निवास सरकारी आवास, पुरानी नगर पालिका छबड़ा जिला बारां होना बताया। इस पर आरोपी श्री युसुफ खान को डिटेन कर वाहनो में बिठाया गया। मौके पर मंगलवार का हाट होने की वजह से नगर पालिका के गेट के सामने भीडभाड होने से अग्रिम पुछताछ एवं कार्यवाही हेतु मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता मय आरोपी मय गवाहान के सरकारी व प्राईवेट वाहनो से मय ट्रेप उपकरण आदि के अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना होकर पुलिस थाना छबडा पहुंचा श्री राजेश खटाणा थानाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री युसुफ खान के आवासीय मकान पुराने अस्पताल के पीछे मनोहर थाना जिला झालावाड की खाना तलाशी लेने हेतु उच्चाधिकारियो से निवेदन किया गया। समय 6.35 पीएम पर आरोपी श्री युसुफ खान से परिवादी श्री दीपक दुदानी को आमने सामने बैठाकर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष पुछताछ प्रारम्भ की गई। आरोपी युसुफ खान द्वारा दिनांक 04.05.2025 को 5000 रूपये एवं दिनांक 08.05.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त की गई रिश्वत राशि 3000 रूपये तथा दिनांक 17.06.2025 को अपने पुत्र श्री जुबेर खान के फोन पे माध्यम से 6400 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने की संबंध में पूछा गया तो आरोपी श्री युसुफ खान ने घबराते हुए कहा कि पहले मेरे पास नगर पालिका छबड़ा में स्टोर कीपर का चार्ज था, इस दौरान पानी के केंपर के टेण्डर प्रक्रिया का कार्य भी मेरे द्वारा किया जा जाता था तथा बिल पास करने के लिए फाईल तैयार कर अधिकारी के समक्ष पेश करने का कार्य भी मैं ही करता था। श्री दीपक दुदानी ने निविदा के माध्यम से निम्नतम दर रहने के कारण नगर पालिका छबड़ा में पीने के पानी के केंपर की सप्लाई की थी। इसके बकाया बिलो के भुगतान के संबंध में श्री दीपक दुदानी दिनांक 07.05.25 को मेरे पास कार्यालय में आये थे तो मैंने उनके घर पर आकर बात करने की कहा था लेकिन मुझे टाईम नहीं मिलने से मैं इनके घर पर नहीं जा पाया। इसके बाद दिनांक 08.05.2025 को समय करीब 03.15 पीएम पर मैं इनके घर पर गया तो इन्होंने मुझे पानी के केम्पर के बिल पास कराने की एवज में अपनी स्वेच्छा से 3000 रूपये दिये थे तथा 6400 रूपये बाद में देना तय हुआ था। इसके बाद दिनांक 12.05.2025 को शाम के समय इनके घर पर गया था जहां पर इन्होंने मुझे 6400 रूपये देने के लिये कहा था परन्तु मैंने इनको बिल पास होने के बाद शेष राशि फोन पे से करने हेतु कहा था। इसके बाद आज दिनांक 17.06.2025 को दोपहर के समय ये मेरे पास कार्यालय में आये थे। मैं सर्वे हेतु बाहर जा रहा था तब मैंने इनको मेरे बेटे जुबेर के फोन पे नंबर [redacted] बताकर पैसे डालने की कहा था। इसके बाद अभी शाम को आप लोग आ गये तो मैं एक दम घबरा गया था। मैंने इनसे कोई रिश्वत राशि नहीं मांगी है और ना ही प्राप्त की है, इन्होंने अपनी इच्छा से 6400 रूपये आज फोन पे से व 3000 रूपये दिनांक 08.05.2025 नकद दिये थे। इस पर पास खड़े परिवादी श्री दीपक दुदानी ने आरोपी श्री युसुफ खान की उक्त बातों का खण्डन करते हुए कहा कि मैंने पिछले 8-10 सालों से लगातार नगर पालिका छबड़ा कार्यालय में पीने के पानी के केम्परों की सप्लाई कर रहा हूं। जिसके बिल बनाकर कार्यालय में पेश करने पर भुगतान मेरे खाते में होता आ रहा है। इस वर्ष में गत 06 माह में सप्लाई किये गये पानी के 7200 कम्परों का भुगतान प्राप्त होना शेष था। उक्त भुगतान के संबंध में नगर पालिका छबडा में बाबूजी युसुफ खान से मिला तो इन्होंने प्रत्येक केंपर पर 02 रूपये के हिसाब से कुल 14400 रूपये की रिश्वत की मांग की तथा 5000 रूपये दिनांक 04.05.2025 को नगद लिये तथा शेष राशि 9400 रूपये का भुगतान जल्दी करने की कहा। इस पर मैंने इनकी शिकायत टॉल फ्री नंबर 1064 पर की थी। इसके बाद आप दिनांक 07.05.2025 को मेरे बुलाने पर मेरे पास छबड़ा आये थे। मैंने प्रार्थना पत्र आपको पेश कर युसुफ खान को पकड़वाने के लिए निवेदन किया था। जिस पर दिनांक 07.05.2025 को आपके कार्यालय के श्री दिनेश कानिस्टेबल ने रिश्वत मांग सत्यापन हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया था तो मैं युसुफ खान से इनके कार्यालय में जाकर मिला जिस पर इन्होंने मेरे घर पर आकर वार्ता करने के लिए कहा था परन्तु ये उस दिन मेरे घर पर नहीं आये। इसके बाद दिनांक 08.05.2025 को श्री दिनेश कानिस्टेबल मेरे पास आये थे जिन्होंने मुझे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर दिया था। उसके कुछ समय बाद युसुफ खान बाबूजी नगर पालिका छबडा मेरे पास घर पर आये थे जिनसे मेरे पानी के बिल पास कराने के संबंध में वार्ता हुई थी तथा शेष राशि 9400 रूपये में से 3000 रूपये नगद इन्होंने मेरे से प्राप्त किये थे एवं 6400 रूपये बाद में देने की बात हुई थी जिस पर मैंने मेरे पास पैसों की व्यवस्था होने पर आपको फोन कर दिनांक 11.05.25 को अवगत कराया था। आपने दिनांक 12.05.25 को सुबह एसीबी चौकी बारां में रिश्वत राशि 6400 रूपये लेकर उपस्थित आने की कहा था। इसके बाद रिश्वत राशि सहित मैं दिनांक 12.05.2025 को आपके कार्यालय में आकर आपको रिश्वत राशि पेश की थी। नोटो पर पाउडर लगाने की कार्यवाही के बाद वापस आपकी टीम के साथ छबडा आये थे। नगर पालिका के बाबूजी युसुफ खाने से मोबाईल वार्ता होने पर इन्होंने शेष रिश्वत राशि लेने के लिए मेरे घर पर आने की बात करके मेरे घर आये थे। आने के बाद इन्होंने सावधानी बरतते हुए रंग लगे नोट नहीं लिये तथा उक्त शेष रिश्वत राशि 6400 रूपये बिल पास होने के बाद फोन पे करने

की कहा था। इसके बाद मेरे पानी के केम्परों का भुगतान मेरे खाते में प्राप्त हो गया था परन्तु धरोहर राशि 5000 रूपये प्राप्त नहीं हुई थी। आज दिनांक 17.06.2025 को आपको हालात बताने पर आप अपनी टीम के साथ छबड़ा आये थे तथा कानिस्टेबल दिनेश से डीवीआर चालू करवाकर मुझे सुपुर्द कर बाबूजी युसुफ जी के पास रवाना किया था जिस पर मैं आज दोपहर में कार्यालय नगर पालिका छबडा के गेट पर श्री युसुफ खान बाबूजी से मिला था जिन्होंने मेरे से शेष रिश्वत राशि अपने पुत्र जुबेर के फोन पे नंबर पर डालने की कहा था। इसी दौरान मैंने इनको मेरी धरोहर राशि 5000 रूपये की नगर पालिका की रसीद संख्या 5619 दिनांक 15.10.2024 की जारीशुदा इनको दी थी। जिस पर मैंने इनकी मांग के अनुसार शेष रिश्वत राशि 6400 रूपये मेरे फोन पे नंबर [redacted] से श्री युसुफ खान के पुत्र श्री जुबेर के फोन पे नंबर [redacted] पर डाल दिये थे। इनके वापस कार्यालय में आने पर आपने इनको पकड़ लिया था। इस पर आरोपी युसुफ खान से परिवादी दीपक दुदानी द्वारा दी गई धरोहर राशि 5000 की रसीद के बारे में पूछा तो आरोपी युसुफ खान ने दीपक दुदानी के नाम की नगर पालिका छबडा की 5000 रूपये की धरोहर राशि की दिनांक 15.10.2024 की जारीशुदा रसीद संख्या 5619 मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश की जिसका अवलोकन किया तो धरोहर राशि के संबंध में परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी के पेण्डिंग कार्य के संबंध में उक्त रसीद कार्यवाही में वांछित होने से रसीद पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। इसके बाद परिवादी दीपक दुदानी के द्वारा किये गये फोन पे ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट का प्रिन्ट आउट लिया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा फोन पे के ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट का अवलोकन करने पर आरोपी युसुफ खान के पुत्र श्री जुबेर खान के मोबाईल नंबर 9079185520 पर आज दिनांक 17.06.2025 को समय 01.59 पीएम पर रिश्वत राशि 6400 रूपये ट्रांसफर हुये, जिसकी ट्रांजेक्शन आईडी ज्2506171359292289526541 एवं यूटीआर नंबर 196003171250 होना पाया गया। उक्त स्क्रीनशॉट के प्रिन्ट आउट पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त संबंध में आरोपी से उसके पुत्र जुबेर खान के मोबाईल नंबर [redacted] के संबंध में पूछने पर उसके द्वारा उक्त नंबर स्वयं के पुत्र जुबेर खान के होने की पुष्टि की। कार्यावाही की फर्द प्राप्ति रिश्वत राशि एवं जप्ती फोन पे ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट रिश्वत राशि 6400 रूपये बाबत् तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय समय समाप्त होने व बैंक बन्द हो जाने से आरोपी श्री युसुफ खान के पुत्र श्री जुबेर खान के खाते में स्थानान्तरित हुई रिश्वत राशि 6400 रूपये को तत्समय हॉल्ड नहीं करवाया जा सका तथा कार्यवाही में रिश्वत राशि 6400 रूपये आरोपी युसुफ खान के पुत्र जुबेर खान के फोन पे पर प्राप्त होने से जुबेर खान को जरिये मोबाईल तलब किया तो जुबेर खान नहीं आया। पुनः तलब करने का प्रयास किया तो आरोपी के पुत्र जुबेर का मोबाईल स्विच ऑफ आया। इस पर आरोपी के पुत्र जुबेर को उसके निवास सरकारी आवास पर तलाश किया तो वहां पर भी उपस्थित नहीं मिला। इस कारण रिश्वत राशि 6400 रूपये प्राप्ति के संबंध में आरोपी के पुत्र जुबेर का मोबाईल मौके पर जप्त नहीं हो सका। आरोपी के निवास स्थान पुरानी नगर पालिका अलीगंज मोहल्ला कस्बा छबडा में मुस्लिम बाहुल्य होने तथा आरोपी को डिटेन करते वक्त नगर पालिका छबडा में अन्य कर्मचारियो एवं अन्य व्यक्तियो की भीड होने से आरोपी के निवास पुरानी नगर पालिका अलीगंज छबडा में स्थित मकान की खाना तलाशी नही ली जा सकी। तत्पश्चात पूछताछ की कार्यवाही पूर्ण होने पर समय 8.00 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता श्री ज्ञानचन्द एएसआई, श्री बबलेश कानि0 261, श्री दिनेश कानि0 360, श्री विक्रम सिंह कानि0 23 मय परिवादी श्री दीपक दुदानी व स्वतन्त्र गवाहान श्री कालू लाल आर्य, श्री प्रवीण चार्ल्स मय सरकारी व प्राईवेट वाहन मय ट्रेप उपकरण, डीवीआर मय आरोपी श्री युसुफ खान के रवाना होकर समय 09.30 एएम पर एसीबी कार्यालय बारां पहुंचा। तत्पश्चात आरोपी को जाप्ते की निगरानी में बैठाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 10.15 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जर्ये नोटिस आरोपी श्री युसुफ खान को सूचित किया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री दीपक दुदानी से दिनांक 08.05.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 3000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई एवं दिनांक 12.05.2025 को रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता के दौरान बिल पास होने के उपरान्त शेष रिश्वत राशि 6400 जरिये फोन पे से प्राप्त करने हेतु सहमत होने तथा दिनांक 17.06.2025 को रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान शेष रिश्वत राशि 6400 रूपये जरिये फोन पे प्राप्त करना पाया गया है। उक्त वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त रिकॉर्ड की गई वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवश्यकता है। अतः आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें तो आरोपी ने फर्द पर " मैं अपनी आवाज का नमूना स्वैच्छा से नही देना चाहता हुं" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द नमूना आवाज नोटिस शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.55 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री युसुफ खान सहायक कर्मचारी हाल सफाई निरीक्षक, कार्यालय नगर पलिका छबडा जिला बारां की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने व आरोपी द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना होने से एवं तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने या कथन देने से निवारण करने के लिए आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक है। स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री युसुफ खान को मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पूर्ण पद का परिचय देकर अवगत कराया कि आप द्वारा परिवादी दीपक दुदानी से दिनांक 08.05.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के

दौरान 9400 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा 3000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। दिनांक 12.05.2025 को रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता के दौरान शेष रिश्वत राशि 6400 रूपये बिल पास होने के उपरान्त जरिये फोन पे प्राप्त करने हेतु सहमत हुए। दिनांक 17.06.2025 को रिश्वत लेन देन वार्ता के दौरान शेष रिश्वत राशि 6400/-रूपये अपने पुत्र के फोन पे नंबर [redacted] पर प्राप्त करने का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपी श्री युसुफ खान सफाई निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री प्रवीण चार्ल्स से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल मोटोरोला एज 50 फ्यूजन हरे रंग का मिला जिसमें एक सिम जियो कम्पनी की नम्बर [redacted] व दूसरी सिम जिओ कम्पनी की नम्बर [redacted] लगी हुई है, जिसे बजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी के जेब से वोटर आईडी, आयकर विभाग का पेन कार्ड, एक एटीएम एसबीआई बैंक, वोटर आईडी व 8940 रूपये नगद मिले। उक्त राशि 8940 रूपये के बारे में आरोपी से पूछा तो बताया कि मैं परिवार के साथ सरकारी आवास छबडा में रहता हूं, उक्त राशि स्वयं के घरेलू खर्चे के है। आरोपी का जबाव संतोषप्रद होने से उक्त राशि 8940, एटीएम व पेन कार्ड, वोटर आईडी आरोपी के परिजनों के आने पर पृथक से सुपुर्द किये गये। कार्यवाही के दौरान परिवादी व आरोपी के मध्य मोबाईल पर वार्ता होना पाया गया है। अतः उक्त मोबाईल को कार्यवाही में वांछित होने से जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री युसुफ खान पुत्र श्री मेहबुल्ला खान जाति मुसलमान उम्र 59 साल, सहायक कर्मचारी हाल सफाई निरीक्षक कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां निवासी पुराने अस्पताल के पीछे, गुर्जर मोहल्ला, मनोहरथाना जिला झालावाड़ वर्तमान निवास सरकारी आवास, पुरानी नगर पालिका छबड़ा जिला बारां को गिरफ्तारी के आधार तथा कारणों एवं उसके संवैधानिक अधिकारों से भली भांति अवगत कराने के उपरान्त बसबूत जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। फर्द गिरफ्तारी शामिल कार्यवाही की गई। समय 11.30 पीएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी व आरोपी श्री युसुफ खान के मध्य दिनांक 07.05.2025 को (करीब 15 मिनट 22 सैकण्ड, फाईल नम्बर 250507_1203) हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड थी, को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे श्री दिनेश कानि0 360 से लिवाकर स्पीकर चालू करके परिवादी व गवाहान को सुनाकर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में वार्ता की हुबहू फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 18.06.2025 को समय 01.00 एएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी व आरोपी श्री युसुफ खान के मध्य दिनांक 07.05 2025 को (करीब 28 सैकण्ड, फाईल नम्बर 250507_1159) हुई मोबाईल वार्ता प्रथम, समय 01.05 एएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी व आरोपी श्री युसुफ खान के मध्य दिनांक 07.05.2025 को (करीब 36 सैकण्ड, फाईल नम्बर 250507_1310) हुई मोबाईल वार्ता द्वितिय, समय 01.11 एएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी व आरोपी श्री युसुफ खान के मध्य दिनांक 08.05.2025 को (करीब 14 मिनट 11 सैकण्ड, फाईल नम्बर 250508_1514) हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय, समय 02.40 एएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी व आरोपी श्री युसुफ खान के मध्य दिनांक 08.05.2025 को (करीब 42 सैकण्ड, फाईल नम्बर 250508_1040) हुई मोबाईल वार्ता तृतीय, समय 02.48 एएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी व आरोपी श्री युसुफ खान के मध्य दिनांक 08.05.2025 को (करीब 34 सैकण्ड, फाईल नम्बर 250508_1225) हुई मोबाईल वार्ता चतुर्थ, समय 02.55 एएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी व आरोपी श्री युसुफ खान के मध्य दिनांक 12.05.2025 को (करीब 01 मिनट 17 सैकण्ड, फाईल नम्बर 250512_1708) हुई मोबाईल वार्ता पंचम, समय 03 05 एएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी व आरोपी श्री युसुफ खान के मध्य दिनांक 17.06.2025. को (करीब 05 मिनट 24 सैकण्ड, फाईल नम्बर 250617_1306) हुई रिश्वत लेन देन वार्ता एवं समय 04.30 एएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी व आरोपी श्री युसुफ खान के मध्य दिनांक 12.05.2025. को (करीब 22 मिनट 29 सैकण्ड, फाईल नम्बर 250512_1843) हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता उपरोक्त समस्त वार्तायें कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड (KDM 32GB ब्लेक कलर) में रिकार्ड थी, डीवीआर को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप से कनेक्ट कर, स्पीकर चालू कर बारी बारी परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाकर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में बारी बारी सभी की फर्द ट्रांसक्रिप्टें श्री दिनेश कानि0 360 से हुबहु तैयार करवाकर प्रिन्ट निकलवाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.15 एएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 07.05.2025 को परिवादी श्री दीपक दुदानी व आरोपी श्री युसुफ खान सहायक कर्मचारी हाल सफाई निरीक्षक के मध्य हुई मोबाईल वार्ता प्रथम फाईल नंबर 250507_1159 (28 सैकण्ड) व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम फाईल नम्बर 250507_1203 (15 मिनट 22 सैकण्ड) एवं मोबाईल वार्ता द्वितीय फाईल नंबर 250507_1310 (36 सैकण्ड) तथा दिनांक 08.05.2025 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तृतीय फाईल नंबर 250508_1040 (42 सैकण्ड), मोबाईल वार्ता चतुर्थ फाईल नंबर 250508_1225 (34 सैकण्ड) व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय फाईल नंबर 250508_1514 (14 मिनट 11 सैकण्ड) तथा दिनांक 12.06.2025 को परिवादी व आरोपी युसुफ खान के मध्य हुई मोबाईल वार्ता पंचम फाईल नंबर 250512_1708(1 मिनट 17 सैकण्ड) व रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता फाईल नंबर 250512-1843 (समय 22 मिनट 29 सैकण्ड) तथा दिनांक 17.06.2025 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता फाईल नंबर 250617_1306

(समय 05 मिनट 24 सैकण्ड) जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में सेव है को श्री दिनेश कुमार कानि. 360 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में कनेक्ट करवाकर कार्यालय के लेपटॉप से 03 पेन ड्राईव SanDisk 32GB कलर ब्लेक में तैयार किये गये। जिसमें से एक पेन ड्राईव वजह सबूत नमूना आवाज कार्यवाही के लिए, एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैलियों में पृथक-पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जर्ये लेपटॉप मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्यू की गणना MD5 एवं SHA1 में कर प्रिन्ट निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में उपयोग किये गये मूल मेमोरी कार्ड KDM 32GB ब्लेक कलर को माननीय न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। सीलशुदा पैन ड्राईव एवं मूल मैमोरी कार्ड व आरोपी के जप्तशुदा अनसील मोबाईल को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात समय 7.00 एएम पर परिवादी श्री दीपक दुदानी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर उसके द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि 6400 रूपये वापस चाहने हेतु निवेदन किया। इस पर मालखाने में रखी रिश्वत राशि 6400 रूपये निकलवाकर नोटो पर लगे पावडर को अच्छी तरह साफ करवाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जर्ये फर्द सुपुर्दगी परिवादी दीपक दुदानी को वापस लौटाये गये। समय 09.30 एएम पर आरोपी युसुफ खान के पुत्र जुबेर खान के भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 38183501642 शाखा सुरेर तहसील मनोहर थाना जिला झालावाड में दिनांक 17.06.2025 को आरोपी युसुफ खान द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि 6400 रूपये को हॉल्ड/फ्रीज करने एवं खाते का दिनांक 07.05.2025 से ट्रेप दिनांक 17.06.2025 तक का प्रमाणित बैंक स्टेटमेण्ट प्राप्त करने हेतु शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हॉस्पिटल रोड बारां को जर्ये विशेष वाहक श्री विक्रम कानि0 23 के एवं शाखा सरेरी तहसील मनोहर थाना जिला झालावाड को जर्ये ईमेल पत्रांक प्रेषित किये गये। समय 10.30 एएम पर आरोपी युसुफ खान के पुत्र जुबेर खान के भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 38183501642 शाखा सुरेर तहसील मनोहर थाना जिला झालावाड का दिनांक 07.05.2025 से दिनांक 17.06.2025 तक का स्टेटमेण्ट श्री विक्रम सिंह कानि0 23 ने लाकर पेश किया। स्टेटमेण्ट के अवलोकन से आरोपी के खाता संख्या 38183501642 में दिनांक 17.06.2025 को परिवादी की पत्नि नेहा दुदानी के एचडीएफसी बैंक खाते से फोन पे के माध्यम से 6400 रूपये का ट्रांजेक्शन की पुष्टि हुई। प्राप्त स्टेटमेण्ट को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.00 एएम पर ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्रकरण के परिवादी श्री दीपक दुदानी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सकुशल रूखसत किया गया। नागर पालका छबडा से परिवादी के बिलां की प्रमाणित प्रतिया एवं ऑडशीट पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रतिया प्राप्त हुई। जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। संपूर्ण कार्यवाही एवं हालात से पाया गया कि परिवादी श्री दीपक दुदानी पुत्र श्री रामस्वरूप दुदानी जाति महाजन उम्र 42 साल निवासी स्टेशन रोड़ छबड़ा जिला बारां ने दिनांक 07.05.2025 को हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को छबडा में इस आशय का पेश किया कि "मैं प्रार्थी दीपक दुदानी पुत्र श्री रामस्वरूप दुदानी स्टेशन रोड छबडा का निवासी हुं। मेरा छबडा नगर पालिका में पिछले आठ-दस वर्ष से पानी के केम्पर सप्लाई का टेण्डर चल रहा था। इस वर्ष का केम्पर सप्लाई का टेंडर किसी और व्यक्ति को दे दिया था। मेरे लगभग छः महिने के 7200 केम्परो का बिल पास करने व पांच हजार रूपये की धरोहर राशि लौटाने की एवज में युसुफ खान बाबू प्रति केम्पर 2 रूपये के हिसाब से 14400 रूपये की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। मैंने युसुफ खान को पांच हजार रूपये 04.05.2025 को दे दिये तथा बाकी रिश्वत राशि 2-4 दिन में देने के लिए कहा है। मैं युसुफ खान बाबू को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी उक्त बाबू मे कोई पुरानी रंजिश व उधार लेन देन बाकी नही है। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।" इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने दिनांक 07.05.25 एवं 08.05.25 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। दिनांक 08.05.25 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी दीपक दुदानी के पानी के केम्पर के बिल पास करने एवं धरोहर राशि वापस लौटाने की एवज में आरोपी श्री युसुफ खान द्वारा परिवादी से 14400 रूपये की मांग कर 5000 रूपये सत्यापन से पूर्व दिनांक 04.05.25 को नगद एवं 3000 रूपये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान को नगद प्राप्त किये एवं दिनांक 12.06.2025 को रिश्वत लेन देन प्रयास के दौरान शेष रिश्वत राशि 6400 रूपये फोन पे पर प्राप्त करने की कहा। तत्पश्चात दिनांक 17.06.25 को शेष रिश्वत राशि 6400 रूपये रिश्वत लेन देन वार्ता के समय अपने पुत्र जुबेर खान के फोन पे नंबर प्राप्त करने की पुष्टि होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी को ट्रेप कार्यवाही के दौरान नमूना आवाज नोटिस दिया गया जिसमें आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया तथा फर्द पर "मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हुं" अंकित किया। आरोपी को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। परिवादी दीपक दुदानी व आरोपी युसुफ खान सहायक कर्मचारी हाल सफाई निरीक्षक नगर पालिका छबड़ा के मध्य हुई दिनांक 07.05.25 व दिनांक 08.05.25 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता दिनांक 12.05.25 को एवं रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 17.06.25 की फर्द ट्रांसकिप्टे तैयार करवाई गई। परिवादी से 14400/-रूपये की मांग कर 5000 रूपये सत्यापन से पूर्व दिनांक 04.05.25 को नगद एवं रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 08.05.2025 को 3000 रूपये नगद एवं दिनांक 12.05.25 को शेष रिश्वत राशि 6400 रूपये

बिल पास होने के बाद जरिये फोन पे करने तथा शेष रिश्वत राशि 6400/-रूपये रिश्वत लेन देन वार्ता के समय दिनांक 17.06.25 को जरिये फोन पे आरोपी के कहने पर उनके पुत्र जुबेर के फोन पे पर प्राप्त करने की पुष्टि हुई, कार्यवाही की फर्द प्राप्ति रिश्वत राशि एवं जप्ती स्क्रीनशॉट तैयार की गई। वार्ताओं की फर्द डंबिग पैन ड्राईव एवं जप्ती मूल मैमोरी कार्ड तैयार की गई। आरोपी युसुफ खान के पास से परिवादी की धरोहर राशि 5000 रूपये की रसीद जप्त की गई। आरोपी युसुफ खान के पुत्र जुबेर खान के भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुरेर तहसील मनोहर थाना जिला झालावाड के खाता संख्या 38183501642 स्टेटमेण्ट से दिनांक 17.06.2025 को परिवादी की पत्नि नेहा दुदानी के एचडीएफसी बैंक खाते से फोन पे के माध्यम से 6400 रूपये का ट्रांजेक्शन होना पाया गया। नगर पालिका छबडा से प्राप्त परिवादी के बिलों एवं ऑडरशीट की प्रमाणित प्रतियां से पाया गया कि नगर पालिका में पानी की सप्लाई हेतु निविदा प्रक्रिया से परिवादी श्री दीपक दुदानी के नाम टेण्डर हुआ। परिवादी द्वारा पानी की सप्लाई करने पर बिल संख्या 82,83,84,85,86 दिनांक 24.03.2025 एवं बिल संख्या 431 दिनांक 06.05.25 से कुल राशि 40500 रूपये एवं बिल संख्या 229,231, 232 दिनांक 07.08.24 एवं बिल संख्या 230 दिनांक 05.08.24 कुल राशि 32340 रूपये तथा बिल संख्या 1673, 1674, 1675 दिनांक 05.11.2025 कुल राशि 23400 रूपये के तैयार कर पेश किये जिनको आरोपी श्री युसुफ खान स्टोर कीपर नगर पालिका छबडा द्वारा प्रमाणित किया गया तथा नोटशीट में बिलो को भुगतान करने हेतु पेश करना अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये हुये है। कार्यवाही में आरोपी श्री युसुफ खान के कहेअनुसार उसके पुत्र जुबेर खान के फोन पे पर भुगतान हुआ है इसलिये आरोपी के पुत्र जुबेर की भूमिका के संबंध में विस्तृत अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अतः सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.08.25, 08.05.25 से, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता दिनांक 12.05.25 से, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 17.06.25 से, नमूना आवाज नोटिस व फर्द प्राप्ति रिश्वत राशि एवं जप्ती फोन-पे ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट रिश्वत राशि 6400 रूपय से, आरोपी युसुफ खान के पास से परिवादी की धरोहर राशि 5000 रूपये की रसीद प्राप्त होने से, आरोपी युसुफ खान के पुत्र जुबेर खान के एसबीआई बैंक शाखा सरेरी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के खाता संख्या 38183501642 में दिनांक 17.06.25 को परिवादी की पत्नी नेहा दुदानी के एचडीएफसी खाते से जरिये फोन पे 6400 रूपये का ट्रांजेक्शन होने से, नगर पालिका छबडा से प्राप्त रिकार्ड से आरोपी श्री युसुफ खान पुत्र श्री मेहबुल्ला खान जाति मुसलमान उम्र 59 साल सहायक कर्मचारी हाल सफाई निरीक्षक कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां निवासी पुराने अस्पताल के पीछे, गुर्जर मोहल्ला, मनोहरथाना जिला झालावाड़ वर्तमान निवास सरकारी आवास, पुरानी नगर पालिका छबड़ा जिला बारां के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (प्रेमचन्द) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां................कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द,उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बारां ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपी श्री युसुफ खान पुत्र श्री मेहबुल्ला खान जाति मुसलमान उम्र 59 साल सहायक कर्मचारी हाल सफाई निरीक्षक कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां निवासी पुराने अस्पताल के पीछे, गुर्जर मोहल्ला, मनोहरथाना जिला झालावाड़ वर्तमान निवास सरकारी आवास, पुरानी नगर पालिका छबड़ा जिला बारां के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री देशराज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 971 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 921-24 दिनांक 21-06-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां। 2- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका छबडा जिला बारां। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** DESHRAJ GURJAR **Rank** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/06/2025 12:00:18

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/05/1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)